दूरभाष– 2286709
फैक्स–0522–2286711
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ–226001
www.sudaup.org
e mail-sudauplko@yahoo.com
pmusuda@gmail.com

पत्रांक 5171 /04/सात/रि.यो./2014–15–।। दिनांक 12 मार्च, 2015

Corrigendum/ आदेश

भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा निर्गत अधिसूचना 25 दिनांक 13 जनवरी, 2015 के अन्तर्गत केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 8 के पश्चात यह नियम अंतःस्थापित किया जाना सूच्य है कि ''8क ई–रिक्शा या ई–कार्ट चलाने के लिए अपेक्षित–न्यूनतम प्रशिक्षण–नियम 8 में अंतर्विष्ट कोई बात, आवेदकों ई–रिक्शा या ई–कार्ट चलाने हेतु अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए लागू नही होगी, परन्तु आवेदक को कम से कम दस दिन की अवधि का प्रशिक्षण अनुभव प्राप्त करना होगा और यथास्थिति, रजिस्ट्रीकृत ई–रिक्शा या ई–कार्ट संगम या ई–रिक्शा या ई–कार्ट का उत्पादन करने वाले विनिर्माता से प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।''

उपर्युक्त अधिसूचना के अनुपालन में अभिकरण द्वारा ई–रिक्शा की आपूर्ति इत्यादि के सम्बन्ध में दिनांक 05.3.2015 को विज्ञापित निविदा संदर्भ संख्या 2/RICKSHAW-YOJNA/UPGOVT/2015 के सम्बन्ध में उक्त का अनुपालन आपूर्तिकर्ता निर्माता कम्पनी को अनिवार्य रूप से करना होगा। तदनुसार भुगतान सम्बन्धी बिन्दु संख्या 14 (iii) संशोधित समझा जाए तथा निविदा प्रपत्र के पृष्ठ संख्या 23–28 के अन्तर्गत उल्लिखित SECTION II: Conditions of Contract में बिन्दु संख्या 13.9 के पश्चात नवीन बिन्दु 13.9 ए को निम्नवत शामिल किया जाता है–

''आपूर्तिकर्ता विनिर्माता कम्पनी को अपने व्यय पर दस दिन की अवधि का नियमानुसार प्रशिक्षण रिक्शा चालक को दिया जाना बाध्यकारी होगा। प्रशिक्षणोंपरान्त प्रशिक्षित रिक्शा चालक को नियमानुसार प्रमाण पत्र भी निर्गत करना अपरिहार्य होगा।'' यह शुद्धिपत्र/आदेश निविदा अभिलेख का भाग होगा।

12/3/2015
निदेशक, सूडा